

३

संख्या- ८८५ / 15-7-06-16(23)/2007

प्रेषक,

बाबू राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विवार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुमान

लाखनऊ: दिनांक: 17 मई, 2007

विषय :- द रेनेसो एकेडमी तिलहर शाहजहांपुर को सीधी००४८००५० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश
हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सीधी००४८००५० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति
प्रमाण पत्र दिये जाने मे इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवर्णयों के अधीन आपत्ति नहीं
है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध सभिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी
बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बैंसिक
शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों मे विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित
शूलक से अधिक शूलक नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मोर्च नहीं की जायेगी और यदि
पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की
संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एज्यूकेशन नईदिल्ली/कॉर्सिल आफ दि
इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्यामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस
परीक्षा परिषद से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा
परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त
हो जायेगे।
- (5) संस्था को शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य रेतननामों तथा अन्य भत्तों से कम
रेतननाम तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

manj
Principal
The Renaissance Academy
Near Motwali, Tihar, Shahjahanpur
AFF. No. 2130935

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सज्जायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी भावेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निधीरित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्जन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाला जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता घरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुप्रति प्रमाण पत्र दापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(बाबू रम)

अनु संधिव ।

प्रारंभिक एवं दिनांक तर्फ़े

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली ।
- 3- जिला विद्यालय नियोक्ता, शाहजहाँपुर ।
- 4- नियोक्ता, आम्बा भारतीय विद्यालय उण्ठा, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, द रेनेसाँ एकोहमी तिलहर शाहजहाँपुर ।
- 6- गार्ड बुक ।

आशा से,

(बाबू रम)

अनु संधिव ।

Principal
Manager Secretary
The Renaissance Academy
Tilah, Tihara, Shahjahanpur

Principal
Renaissance Academy
Tilah, Tihara, Shahjahanpur
AFF No. 2130935